

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2087 / 14-1दिनांक, अमरोहा, फरवरी 13 2018

सेवा में,

सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स, मैनेजर
इण्डियन ऑयल कर्पो0 लि0 मुरादाबाद मण्डल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड एन0एच0 24
पोस्ट पाकबडा मुरादाबाद-244102 उ0प्र0।

विषय :- जनपद अमरोहा में ग्राम सिहाली जांगीर की खसरा संख्या 469 में इण्डियन ऑयल कर्पो0 लि0 मुरादाबाद द्वारा स्थापित किये जा रहे पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0960515 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा में ग्राम सिहाली जांगीर की खसरा संख्या 469 में इण्डियन ऑयल कर्पो0 लि0 मुरादाबाद द्वारा स्थापित किये जा रहे पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0960515 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में अनुमति बावत ऑन लाइन आवेदन कर प्रस्ताव की मूल प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है।

उक्त प्रस्तावों का अवलोकन करने पर निम्न कमियां प्रकाश में आयी है :-

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट-I में प्रयोक्ता एजेंन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. N.P.V. के मूल्य भुगतान संबंधित बचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रयोक्ता एजेंन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि आंगणन विवरण पर प्रयोक्ता एजेंन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों पर कहीं पर हिन्दी एवं कहीं पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये गये हैं। स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर के नीचे संबंधित अधिकारी का नाम अंकित नहीं किया गया है, एवं तिथि भी अंकित नहीं है।
6. जीयोरिफरेंश मैप, साईट मैप व टोपोशीट पर हस्ताक्षर के नीचे नाम नहीं लिखा गया है।
7. उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रमाण-पत्र नहीं उपलब्ध कराये गये है :-
 - 1- वैकल्पिक भूमि सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
 - 2- योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तों को मान्य संबंधित प्रमाण-पत्र।
 - 3- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य संबंधित प्रमाण-पत्र।

उपरोक्तानुसार मूल प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से लौटाये जा रहे है, कि आप इंगित कमियों का निराकरण करते हुए पुनः मूल प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।